

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/ 790-0
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - रीवा,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री दीपक कुमार मिश्रा पिता स्व० श्री राम रंगीले मिश्रा, फार्माशिस्ट ग्रेड-2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना, जिला रीवा, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 6714 दिनांक 04.06.2018.

-0-

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री दीपक कुमार मिश्रा पिता स्व० श्री राम रंगीले मिश्रा, फार्माशिस्ट ग्रेड-2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना, जिला रीवा, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण फार्माशिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय में प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।


आवेदक श्री दीपक कुमार मिश्रा द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर ड्रेसर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री दीपक कुमार मिश्रा को ड्रेसर ग्रेड-2 का निर्धारित तीन माह का प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय रीवा में दिये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जा कर संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। आवेदक द्वारा तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर नियमानुसार ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जावे। **उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।**

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 39 तक


(विवेक श्रीवास्तव)


अपर संचालक प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक /08/2018

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला रीवा मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा, संभाग रीवा, मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रीवा, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार मिश्रा को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु ड्रेसर का तीन माह का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर प्रशिक्षण उपरान्त प्रमाण-पत्र जारी किया जावे। **उल्लेखित प्रकरण के अतिरिक्त किसी भी प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को ड्रेसर का प्रशिक्षण संचालनालय की अनुमति के बगैर नहीं दिया जावे।**
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्री दीपक कुमार मिश्रा पिता स्व० श्री राम रंगीले मिश्रा, निवासी- ग्राम रजहा पोस्ट बिछरहटा, तहसील हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

03-08-2018

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/778-0
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - सतना,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री पुष्पेन्द्र कुमार उरमलिया, पिता स्व0 श्री रजनीश कुमार उरमलिया, लेब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय, सतना, म.प्र.।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 2194 दिनांक 13.03.2018.

-0-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री पुष्पेन्द्र कुमार उरमलिया, पिता स्व0 श्री रजनीश कुमार उरमलिया, लेब टेक्नीशियन, जिला चिकित्सालय, सतना, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

आवेदक श्री पुष्पेन्द्र कुमार उरमलिया द्वारा संचालनालय में उपस्थित होकर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, "यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।"

अतः श्री पुष्पेन्द्र कुमार उरमलिया का मूल प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर भेजा जा रहा है। आप संबंधित को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर अवगत करावें।

"आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 26 तक



2/8/18
(विवेक श्रीवास्तव)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा, संभाग रीवा, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर, मध्यप्रदेश।
4. प्राचार्य, चिकित्सा अधिकारी, बहुउद्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म0प्र0 की ओर भेजकर लेख है कि श्री पुष्पेन्द्र कुमार उरमलिया को चालू सत्र में ही प्रशिक्षण में शामिल कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
5. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
6. श्री पुष्पेन्द्र कुमार उरमलिया, पिता स्व0 श्री रजनीश कुमार उरमलिया, निवासी- ग्राम पोस्ट मुडहा, जिला सतना, म.प्र.।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/764-0
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - रीवा,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्रीमती रजनी तिवारी पत्नि स्व० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी,
पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्योथर, जिला रीवा, म.प्र.।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 4644 दिनांक 05.04.2018.

—00—

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमती रजनी तिवारी पत्नि स्व० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्योथर, जिला रीवा, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण आवेदिका की अर्हता अनुसार जिले में पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय में प्राप्त हुआ है।


आवेदिका द्वारा अन्य तृतीय श्रेणी के पद के स्थान पर योग्यता अनुसार लेब सहायक के पद पर रीवा जिला में ही नियुक्ति प्रदान करने की सहमति दी गई है।

श्रीमती रजनी तिवारी पत्नि स्व० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदिका लेब सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखती हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन लेब सहायक का अनारक्षित श्रेणी में सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती रजनी तिवारी पत्नि स्व० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी को म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र.सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29 सितम्बर 2014 के तहत लेब सहायक के पद पर नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ रिक्त पद पर पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 21 तक


24/8
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा, संभाग रीवा, मध्यप्रदेश।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला रीवा, मध्यप्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।
5. श्रीमती रजनी तिवारी पत्नि स्व० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी, निवासी- उसरगाँव, पोस्ट सोहागी, जिला रीवा, म.प्र.।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/740-0

भोपाल, दिनांक 03/08/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
रीवा संभाग रीवा, मध्यप्रदेश ।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण- श्री कमलेश कुमार पटेल पुत्र स्व. श्री फत्तेलाल पटेल, ड्रेसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटर, जिला सतना, म.प्र.।

संदर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना का पत्र क्रमांक 1481, दिनांक 21.02.2018.

—00—


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री कमलेश कुमार पटेल पुत्र स्व. श्री फत्तेलाल पटेल, ड्रेसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटर, जिला सतना, म.प्र. का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण संगणक के पद पर नियुक्ति हेतु संचालनालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः संलग्न है।

श्री कमलेश कुमार पटेल के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक संगणक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना के अधीन संगणक का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री कमलेश कुमार पटेल पुत्र स्व. श्री फत्तेलाल पटेल को म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत संगणक के पद पर नियमानुसार 03 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की जाकर आपके अधीनस्थ सतना जिले में पदस्थ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से संचालनालय को ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) पर सूचित करें।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न :- मूल सह पत्र पृ.क्र. 1 से 19 तक


24/8/18
(विवेक श्रीवास्तव)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-5/2018/

भोपाल, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर, जिला सतना म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना, म.प्र.।
3. प्रभारी एम.आई.एस (एम.आई.एस) स्थानीय कार्यालय।
4. श्री कमलेश कुमार पटेल पुत्र स्व. श्री फत्तेलाल पटेल, निवासी- पुष्पराज कॉलोनी, गली नं 06, सतना, म.प्र.।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/211- I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री अश्वनी तिवारी, पुत्र स्व. श्रीमती गोमती तिवारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगेव जिला रीवा।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 12801 दिनांक 07.12.2016।

-----000-----

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री अश्वनी तिवारी, पुत्र स्व. श्रीमती गोमती तिवारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगेव जिला रीवा का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री अश्वनी तिवारी, पुत्र स्व. श्रीमती गोमती तिवारी, द्वारा पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 की कंडिका 5.3 एवं म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 5.1 एवं 12.1 में प्रावधान है कि, यदि किसी पद के लिये अनुभव/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी।

अतः श्री अश्वनी तिवारी, पुत्र स्व. श्रीमती गोमती तिवारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, को पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु प्राचार्य बहुध्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर में प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने बावत् नियमानुसार कार्यवाही 03 दिवस में की जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/212- I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला रीवा मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय रीवा/सागर म.प्र.।
3. प्राचार्य बहुध्देशीय पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर म.प्र.।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर।
6. श्री अश्वनी तिवारी, पुत्र स्व. श्रीमती गोमती तिवारी, पता- ग्राम पोष्ट जोरोट, जिला रीवा की और सूचनार्थ प्रेषित।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/209- I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला रीवा
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्रीमति अमिता सिंह, पत्नी स्व. श्री पुष्पराज सिंह, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ जिला रीवा।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक 12126 दिनांक 11.09.2014।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमति अमिता सिंह, पत्नी स्व. श्री पुष्पराज सिंह, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़ जिला रीवा का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदिका श्रीमति अमिता सिंह, पत्नी स्व. श्री पुष्पराज सिंह, द्वारा लेब सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्रीमति अमिता सिंह, पत्नी स्व. श्री पुष्पराज सिंह, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे लेब सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखती है। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन लेब सहायक का अनारक्षित श्रेणी में सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्रीमति अमिता सिंह, पत्नी स्व. श्री पुष्पराज सिंह, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक/सी/3-4/1/3 /06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 0 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/अवि./सेल-5/2018/210 - I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला रीवा मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाय रीवा म.प्र.।
3. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. श्रीमति अमिता सिंह, पत्नी स्व. श्री पुष्पराज सिंह, पता- म.नं. 767/10 जनता कालेज के पास अनंतपुर जिला रीवा।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/207-I
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सिंगरौली
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री आशीष स्काट, पुत्र स्व. श्रीमती आशा स्काट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनागर जिला जबलपुर।

सन्दर्भ :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक 10779 दि. 20.11.2017।

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से श्री आशीष स्काट, पुत्र स्व. श्रीमती आशा स्काट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनागर जिला जबलपुर का अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त न होने के कारण संचालनालय को प्रेषित किया गया था।


संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदकश्री आशीष स्काट, पुत्र स्व. श्रीमती आशा स्काट, द्वारा डार्करूम सहायक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सहमति प्रदान की गई है।

प्रकरण में श्री आशीष स्काट, पुत्र स्व. श्रीमती आशा स्काट, द्वारा धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार वे डार्करूम सहायक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। उपलब्ध जानकारी अनुसार आपके अधीन डार्करूम सहायक का अनारक्षित वर्ग का सीधी भर्ती का पद रिक्त है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री आशीष स्काट, पुत्र स्व. श्रीमती आशा स्काट, को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/सी/3-4/1/3/06 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2008 एवं परिपत्र क्र. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 0 दिवस में अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर ई-मेल nongazatted.mp@mp.gov.in पर सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न - उपरोक्तानुसार ()



(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/अवि./सेल-5/2018/208-I

भोपाल दिनांक 26/02/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कलेक्टर जिला सिंगरौली/जबलपुर मध्यप्रदेश।
2. क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा/जबलपुर म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जबलपुर।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. श्री आशीष स्काट, पुत्र स्व. श्रीमती आशा स्काट, पता- म.नं. 2777 मिशन प्रेस कम्पाउण्ड, नेपियर टाउन जिला जबलपुर।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/205-I

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक
स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा
मध्यप्रदेश ।

विषय:- अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण - श्री मिथलेश साकेत पुत्र स्व.श्री जगदीश प्रसाद चौधरी ।

सन्दर्भ:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शहडोल का पत्र क./स्था./2016/3169,
शहडोल, दिनांक 02/03/2016 ।

—000—

सन्दर्भित पत्र के माध्यम से स्व.श्री जगदीश प्रसाद चौधरी एन.एम.एस. सामु.स्वा.के.ब्यौहारी जिला शहडोल की मृत्यु दिनांक 06.11.2015 को हो जाने से उनके पुत्र श्री मिथलेश साकेत का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण शहडोल जिले में रोस्टर अनुसार तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने से संचालनालय में प्राप्त हुआ है जो मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है ।

संचालनालय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की गई काउंसिलिंग में आवेदक श्री मिथलेश साकेत के शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु योग्य पाया गया । आपके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग में सहायक ग्रेड-3 का एक पद रिक्त है ।

अतः म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. सी/3-12/2013/1/3 दिनांक 29.09.2014 के तहत आवेदक को सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति प्रदान कर की गई कार्यवाही से 03 दिवस में संचालनालय को डाक एवं ई-मेल (nongazatted.mp@mp.gov.in) द्वारा समय सीमा में अवगत करावें ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

संलग्न:- मूल सह पत्र ।



(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि0/सेल-5/2018/206-I
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

भोपाल, दिनांक 26/02/2018

1. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र. ।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा म.प्र. ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-शहडोल म.प्र. ।
4. श्री मिथलेश साकेत, रैदास वार्ड क्रमांक 07 नगर परिषद गोविंदगढ जिला रीवा म.प्र. ।
5. प्रभारी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय ।



अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश